

अधिवक्तागण उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता  
 द्वारा साक्ष्यवादी पेश नहीं करने पर  
 साक्ष्यवादी बन्द की जाती है। प्रतिवादी  
 अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी पेश  
 नहीं करने पर निवेदन किया लिहाजा  
 साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है।  
 अतः वादीगण का वादपत्र अन्तगत द्वारा  
 88, 188, 91, 92 A R A अंदाज साक्ष्य में  
 द्यारिज किया जाता है। पत्रावली गिनाती  
 होकर गम्बर से कम होकर दायिल दफ्तर में



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री कटरणापुर

